जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 58)

[8 अक्तूबर, 1988]

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय
स्थापित तथा निगमित करने और उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि नई दिल्ली में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत "जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी, दिल्ली" नामक सोसाइटी को विघटित किया जाए और उक्त सोसाइटी की सभी संपत्तियों और अधिकारों को उक्त विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित किया जाए ;

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद अभिहित किए जाते हैं ;

(ख) "अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति)" और "शेख-उल-जामिया (कुलपति)" से क्रमश: विश्वविद्यालय के अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख-उल-जामिया (कुलपति) अभिप्रेत हैं ;

(ग) "अंजुमन (सभा)" से विश्वविद्यालय की अंजुमन (सभा) अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी हैं ;

(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(छ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या सामुदायिक जीवन कोई की इकाई अभिप्रेत है ;

(झ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) "मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्)" से विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) अभिप्रेत है ;

(ट) "मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्)" से विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) अभिप्रेत है ;

(ठ) "प्राचार्य" से किसी संस्था, विद्यालय या पालिटेकनिक का प्रधान अभिप्रेत है और जहां कोई प्राचार्य नहीं है वहां इसके अंतर्गत प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्राचार्य है ;

(ड) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ण) "विश्वविद्यालय" से "जामिया मिल्लिया इस्लामिया" के नाम से ज्ञात शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है, जो गांधी जी के आह्वान पर वर्ष 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित सभी शैक्षिक संस्थाओं के बहिष्कार के लिए स्थापित की गई थी और तत्पश्चात् वर्ष 1939 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुई थी, और जिसे वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने वाली संस्था घोषित किया गया था और जो इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में निगमित है ।

3. विश्वविद्यालय—(1) जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

(3) तत्समय अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख-उल-जामिया (कुलपति) का पद धारण करने वाले व्यक्ति और विश्वविद्यालय की अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के सदस्य जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होंगे तथा उस निकाय का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा वह उस नाम से वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

4. जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी का विघटन और सभी संपत्तियों का विश्वविद्यालय को अंतरण—इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(i) जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी, दिल्ली, विघटित हो जाएगी, तथा उक्त सोसाइटी की सभी स्थावर या जंगम संपत्ति, और सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे और उनका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगी और तत्पश्चात् उसके द्वारा उनका उन्मोचन किया जाएगा और वे चुकाए जाएंगे ;

(iii) किसी अधिनियमिति में उक्त सोसाइटी के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हैं ;

(iv) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् किए गए या निष्पादित किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज का, जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास है, इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उसमें सोसाइटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो ;

(v) मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) के किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह करे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली, के स्वामित्व के भवन, उन्हीं नामों और अभिनामों से ज्ञात और अभिहित रहेंगे जिनसे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व ज्ञात और अभिहित थे ;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियिम के प्रारंभ के ठीक पूर्व जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, उसी धृति तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, और पेंशन तथा उपदान के बारे में, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित, विश्वविद्यालय में ऐसे नियोजित रहेगा जैसे वह, इस अधिनियम के पारित न किए जाने पर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अधीन नियोजित रहता ।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य—विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और प्रगति करना होंगे और विश्वविद्यालय निम्नलिखित के संर्वधन के लिए छात्रों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा—

(i) पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, पठन-पाठन की नई पद्धतियों और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में नवीनताएं ;

(ii) विभिन्न विद्याशाखाओं में अध्ययन ;

(iii) अंतरविषयक अध्ययन ;

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण, पंथ निरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना ।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना ;

(ii) भारतीय धर्मों, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संवर्धन करना ;

(iii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना ;

(iv) निवेश-बाह्य अध्ययन विस्तार सेवाएं आयोजित करना और अपने हाथ में लेना तथा प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन के लिए अन्य अध्युपाय करना ;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीती से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना ;

(vi) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण की, जिसके अंतर्गत पत्राचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम हैं, ऐसी व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे ;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक के पदों या अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(viii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना ;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, समन्वय करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(xi) अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालय, संस्थाएं और ऐसे केंद्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करना और बनाए रखना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों ;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थापित करना और चलाना ;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(xv) किसी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय को, परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्वशासी केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना ;

(xvi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति हैं ;

(xvii) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(xviii) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थानों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना ;

(xix) छात्राओं के सबंध में ऐसे विशेष प्रबंध करना जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(xx) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन का विनियमन करना और उसे प्रवर्तित कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं ;

(xxi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना ;

(xxii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए संदान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति हैं, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना ;

(xxiii) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xxiv) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और विश्वविद्यालय के लिए उसमें किसी व्यक्ति को अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदंड अंगीकार या उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लिए उपयुक्त उपबंध करने से निवारित करती है ।

8. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराए और विश्वविद्यालय, केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराए ।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे, कुलाध्यक्ष से ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार देगा जो वह आवश्यक समझे ।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या ऐसी जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है ।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(6) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी केंद्र, विभाग, संस्था या विद्यालय के संबंध में की जाती है, तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में शेख-उल-जामिया (कुलपति) को संबोधित कर सकेगा, और शेख-उल-जामिया (कुलपति) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दे ।

(7) जहां मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई नहीं करती है, वहां कुलाध्यक्ष, मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई की, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, लिखित रूप में आदेश द्वारा बातिल कर सकेगा :

परंतु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और यदि कोई कारण उचित समय के भीतर बताया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा ।

(9) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(i) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) ;

(ii) शेख-उल- जामिया (कुलपति) ;

(iii) नायब-शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iv) मुसज्जिल (कुलसचिव) ;

(v) संकायाध्यक्ष ;

(vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(vii) वित्त अधिकारी ; और

(viii) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

10. अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति)—(1) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) का निर्वाचन अंजुमन (सभा) द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) उपस्थित हो तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

11. शेख-उल-जामिया (कुलपति)—(1) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) शेख-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा :

परंतु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह यह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि वह उस तारीख से जिसको ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है तीन मास के भीतर, उस कार्रवाई के विरुद्ध मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील करे और तब मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(4) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

12. नायब-शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति)—नायब-शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

13. मुसज्जिल (कुलसचिव)—(1) मुसज्जिल (कुलसचिव) की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

14. संकायाध्यक्ष—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

15. वित्त अधिकारी—वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

16. अन्य अधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—

(i) अंजुमन (सभा) ;

(ii) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ;

(iii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) ;

(iv) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) ;

(v) संकाय ;

(vi) योजना बोर्ड ; और

(vii) अन्य ऐसे प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18. अंजुमन (सभा)—(1) अंजुमन (सभा) का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंजुमन (सभा) की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के उपायों के सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले में सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए ; और

(घ) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

19. मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्)—(1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी ।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

20. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्)—(1) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी ।

(2) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

21. योजना बोर्ड—(1) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य योजना निकाय होगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

22. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण—संकायों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

23. परिनियम बनाने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य वे सब विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उपलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का उपबंध है, सेवा की समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा मजलिस-ए-मुंतजमा (कार्य परिषद्) को अपील की प्रक्रिया ;

(ञ) छात्र संघ की अथवा अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद या अन्य कर्मचारियों के संगम की स्थापना और उन्हें मान्यता प्रदान करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में छात्रों का भाग लेना ;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ढ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ण) छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(त) संकायों, विभागों, केंद्रों और विद्यालयों की स्थापना और समाप्ति ;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; और

(द) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं ।

24. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे—(1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में दिए गए हैं ।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर नए या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी :

परंतु मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक न बनाएगी, न उनमें संशोधन करेगी या न उसको निरसित करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विचार करेगी ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या कोई संशोधन या परिनियम के निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति की अपेक्षा होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के विचारार्थ वापस भेज सकेगा ।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस पर कुलाध्यक्ष ने अनुमति न दे दी हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक बाद के तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाध्यक्ष उन कारणों पर, यदि कोई हैं, विचार करने के पश्चात् जो ऐसे निदेश के अनुपालन करने में अपनी समर्थता के लिए मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा संसूचित किए जाएं, यथोचित रूप में परिनियम बना सकेगा या उनमें संशोधन कर सकेगा ।

25. अध्यादेश बनाने की शक्ति—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षा और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए ली जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ञ) उन कर्मचारियों से, जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है, भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतरविषयक अध्ययन केंद्रों, विशेष केंद्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी हैं, के साथ समन्वय और सहयोग करने की रीति ;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अधीक्षकों और संगणकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं का प्रबंध ; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त विनियम और उपविधियां विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश होंगे और उन्हें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा किसी भी समय निरसित या संशोधित किया जा सकेगा ।

26. विनियम बनाने की शक्ति—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य के संचालन के लिए, जिसके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं ।

27. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और अंजुमन (सभा) को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और अंजुमन (सभा) अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) अंजुमन (सभा) अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(3) कुलाध्यक्ष को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

28. वार्षिक लेखे—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के निदेश के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के संप्रेक्षणों के साथ अंजुमन (सभा) और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण अंजुमन (सभा) के ध्यान में लाए जाएंगे और अंजुमन (सभा) के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखाओं की प्रति और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

29. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा ।

30. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया—(1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, शेख-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील कर

सकेगा और मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), यथास्थिति, शेख-उल-जामिया (कुलपति) या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत कोई भी विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 29 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध, यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे ।

31. अपील करने का अधिकार—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अपील करने का अधिकार होगा और तब मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।

32. भविष्य निधि और पेंशन निधि—(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन निधि या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों का उपबंध करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

33. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

34. समितियों का गठन—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को समितियां स्थापित करने की शक्ति इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा दी गई है, वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई हों), जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे, होंगे ।

35. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में की सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

38. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, मुसज्जिल (कुलसचिव) द्वारा प्रमाणित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प, दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी, तथा मामलों और संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

39. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

40. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

41. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अंजुमन (सभा), मजिलस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) तथा विश्वविद्यालय के संकाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र गठित किए जाएंगे और इस प्रकार गठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य-परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) तथा संकाय, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व कार्य कर रहे थे, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकरणों की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे ।

(2) जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति), शेख-उल-जामिया (कुलपति), मुसज्जिल (कुलसचिव), संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्थाओं के प्राचार्य, अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे थे, ऐसे प्रारंभ से ही, उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अपने-अपने पद धारण करते रहेंगे जिन्हें वे ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व धारण कर रहे थे ।

(3) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति), संकायों तथा अन्य प्राधिकारियों के गठन में इस अधिनियम द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई या प्रदान की गई कोई उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि, ऐसे विधिमान्य होगी मानो ऐसी बात, ऐसी कार्रवाई या ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि इस अधिनियम के अधीन की गई थी या प्रदान की गई थी ।

अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) :

(1) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) अंजुमन (सभा) द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किया जाएगा ।

(2) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुन: निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

(3) यदि अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) उपस्थित रहता है तो वह अंजुमन (सभा) के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

2. शेख-उल-जामिया (कुलपति) :

(1) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को, कुलाध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा, जिसमें तीन व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति मजलिस-ए-मुंतज़ेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति, जो समिति का अध्यक्ष होगा, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त करेगा :

परन्तु उपर्युक्त समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह नई सिफारिशों की मांग कर सकेगा ।

(2) शेख-उल-जामिया (कुलपति) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह एक और पदावधि से अनधिक के लिए पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका पदोत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता ।

(4) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(5) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की उपलब्ध‍ियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाएं ।

(6) यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है तो नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), शेख-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा और उसे स्थानापन्न शेख-उल-जामिया (कुलपति) पदाभिहित किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण न कर ले या वर्तमान शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपने पद के कर्तव्यों को न संभाल ले :

परन्तु यदि नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) उपलब्ध नहीं है तो ज्येष्ठतम आचार्य शेख-उल-जामिया (कुलपति) के पद के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया शेख-उल-जामिया (कुलपति) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) पद धारण नहीं कर लेता ।

3. शेख-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियां और कर्तव्य :

(1) शेख-उल-जामिया (कुलपति), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) और योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा तथा अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) की अनुपस्थिति में अंजुमन (सभा) के अधिवेशन और उपाधियां प्रदान करने के लिए किए गए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधन करने का हकदार होगा, किन्तु वह जब तक ऐसे प्राधिकरण या निकाय सदस्य न हो, उसमें मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यह देखना शेख-उल-जामिया (कुलपति) का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाए और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसे सभी आवश्यक शक्तियां होंगी ।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) और योजना बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

4. नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) :

(1) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की नियुक्ति मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं, की जाएगी :

परन्तु जहां शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा स्वीकार न की जाए, वहां वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जो या तो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा या शेख-उल-जामिया (कुलपति) से यह अपेक्षा कर सकेगा वह मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश करे :

परन्तु यह और कि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की पदावधि वह होगी जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विनिश्चित की जाए किन्तु वह किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या शेख-उल-जामिया (कुलपति) की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो, और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा निवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि जब नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन शेख-उल-जामिया (कुलपति) के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, नया शेख-उल-जामिया (कुलपति) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) पद नहीं संभाल लेता ।

(3) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ऐसे विषयों की बाबत, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सहायता करेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

5. मुसज्जिल (कुलसचिव) :

(1) मुसज्जिल (कुलसचिव) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए परिनियम 25 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु मुसज्जिल (कुलसचिव) साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(3) जब मुसज्जिल (कुलसचिव) का पद रिक्त है या जब मुसज्जिल (कुलसचिव) रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(4) (i) मुसज्जिल (कुलसचिव) को विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा उन्हें जांच के होने तक निलंबित करने, चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के मुसज्जिल (कुलसचिव) के आदेश के विरुद्ध अपील शेख-उल-जामिया (कुलपति) को होगी ।

(iii) किसी ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि ऐसा दंड अपेक्षित है जो मुसज्जिल (कुलसचिव) की शक्ति से बाहर का है वहां मुसज्जिल (कुलसचिव) जांच के पूरा होने पर, शेख-उल-जामिया (कुलपति) को एक रिपोर्ट अपनी सिफारिशों सहित देगा :

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के शेख-उल-जामिया (कुलपति) के आदेश के विरुद्ध अपील मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को होगी ।

(5) मुसज्जिल (कुलसचिव), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) और संकायों का पदेन सचिव होगा, किंतु इन प्राधिकरणों में से किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा । वह अंजुमन (सभा) का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

(6) मुसज्जिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उसके भारसाधन में दे, अभिरक्षक बने ;

(ii) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), तथा संकायों के अध्ययन बोर्डों, परीक्षा बोर्डों के और विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी सामिति के अधिवेशन बुलाने की सब सूचनाएं निकाले ;

(iii) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्), संकायों तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किसी समिति के सब अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे ;

(iv) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे ;

(v) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करे और उनका अधीक्षण करे ;

(vi) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्य-सूचियों, जैसे ही वे जारी की जाएं, तथा ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियों का प्रदाय करे ;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों का सत्यापन करे या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे ; और

(viii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करे, जो इन परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं अथवा जिनकी मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

6. वित्त अधिकारी :

(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह परिनियम 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परंतु वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त हो जाएगा ।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(3) वित्त अधिकारी मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) का पदेन सचिव होगा किंतु उसे उस समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सौंपे जाएं या जो इन परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—

(i) संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अन्तर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा ;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सब धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किए गए हैं ;

(iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी के लिए तथा उनके मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के समक्ष पेश किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(iv) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(v) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए काम में लाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(vi) एक आंतरिक लेखपरीक्षा दल के द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रूप से लेख परीक्षा करवाएगा ;

(vii) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन बनाए रखे जाते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यालयों, केंद्रों, संस्थाओं और विद्यालयों के उपस्कर तथा अन्य खपने वाली सामग्री के स्टाक की जांच की जाती है ;

(viii) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा ; और

(ix) विश्वविद्यालय के अधीन किसी कार्यालय, संस्था, केन्द्र, विभाग या विद्यालय से कोई ऐसी जानकारी या विवरणी मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा या मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के लिए जारी की गई रसीद, उस धन के संदाय के दायित्व से, पर्याप्त रूप से उन्मोचित करेगी ।

7. संकायाध्यक्ष :

(1) प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा उस संकाय के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी समय किसी संकाय में आचार्य नहीं है, तो शेख-उल-जामिया (कुलपति) उपाचार्यों में से किसी एक को संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा तथापि, यदि किसी संकाय में उपाचार्य की अवधि के दौरान किसी आचार्य को संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि आचार्य की नियुक्ति की तारीख से समाप्त हो जाएगी, जो तब संकायाध्यक्ष हो जाएगा ।

(2) संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा ।

(3) संकायाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और आचार्य संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगा ।

(4) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय का प्रधान होगा और संकाय में शिक्षा और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा । उसके अन्य ऐसे कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(6) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्ड या संकाय की समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो उसे उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

8. विभागाध्यक्ष :

(1) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो आचार्य होगा और उसके कर्तव्य तथा कृत्य और उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी :

परन्तु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा उसकी बाबत किए गए उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे विभाग में जहां कोई भी आचार्य नहीं है, उपाध्यक्ष को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से विभागाध्क्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि यदि किसी विभाग में कोई आचार्य या उपाचार्य न हो तो संबंधित संकाय का अध्यक्ष उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(2) आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी ।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

9. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष :

(1) प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों में से, जो उपाचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर की जाएगी ।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यदि मजिलस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) आवश्यक समझती है तो वह शेख-उल-जामिया (कुलपति) की सिफारिश पर किसी ऐसे अध्यापक को, जो उपाचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी और ऐसी दशा में मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उसे दिए जाने के लिए उपयुक्त भत्ता मंजूर कर सकेगी ।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने मूल पद पर धारणाधिकार रखेगा और उन सब फायदों का पात्र होगा जो छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की दशा में उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते ।

(4) जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष रुग्णता या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे शेख-उल-जामिया (कुलपति) उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी ।

10. पुस्तकालयाध्यक्ष :

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सौंपे जाएं ।

11. अंजुमन (सभा) :

(1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

पदेन सदस्य :

(i) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) ;

(ii) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ;

(iii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iv) संकायों के सभी अध्यक्ष ;

(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(vi) मुसज्जिल (कुलसचिव) ;

(vii) वित्त अधिकारी ;

(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(ix) दस विभागाध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(x) अन्य संस्थाओं के दो अध्यक्ष ।

आजीवन सदस्य :

(xi) वे व्यक्ति जिन्होंने 20 वर्षों तक जामिया की सेवा करने की शपथ ली थी ।

अध्यापकों के प्रतिनिधि :

(xii) दो आचार्य, जो अध्ययन विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ।

(xiii) शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो उपाचार्य, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ।

(xiv) शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नियुक्त किए गए दो प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ।

अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद के प्रतिनिधि :

(xv) अध्यापेनत्तर कर्मचारिवृंद के दो प्रतिनिधि, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ।

नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(xvi) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आठ व्यक्ति और अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ।

सहयोजित सदस्य :

(xvii) विद्वत वृत्तियों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति जिनके अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघों, बैंकों और कृषि के प्रतिनिधि हैं, जो अंजुमन (सभा) द्वारा सहयोजित किए जाएंगे ।

विधान-मंडलों के प्रतिनिधि :

(xviii) तीन संसद् सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सभापित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(xix) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन का एक प्रतिनिधि ।

(xx) सभापति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ।

(2) अंजुमन (सभा) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(3) पदने सदस्य उस समय अंजुमन (सभा) का सदस्य नहीं रहेगा, जैसे ही वह उस पद को खाली करता है, जिसके फलस्वरूप वह ऐसा सदस्य है ।

12. अंजुमन (सभा) के अधिवेशन :

(1) अंजुमन (सभा) का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब कि किसी वर्ष के संबंध में अंजुमन (सभा) ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, मजिलस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नियत तारीख को होगा ।

(2) अंजुमन (सभा) के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, लेखा परीक्षित रूप में तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन सहित, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलन की प्रति अंजुमन (सभा) के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(4) अंजुमन (सभा) के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अंजुमन (सभा) के एक चौथाई सदस्यों से होगी ।

(5) अंजुमन (सभा) के विशेष अधिवेशन मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा, या यदि शेख-उल-जामिया (कुलपति) नहीं है तो नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा, या यदि कोई नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) नहीं है तो मुसज्जिल (कुलसचिव) द्वारा बुलाए जा सकेंगे ।

13. मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iii) संकायों के दो अध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(iv) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(v) प्रबंध बोर्डों, विश्वविद्यालय केंद्रों के निदेशकों में से एक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(vi) तीन अध्यापक विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों और अध्यापकों में से एक-एक शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाएंगे ।

(vii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति ;

(viii) परिनियम 11(1)(xi) के अधीन आजीवन सदस्यों में से दो व्यक्ति जो अंजुमन (सभा) द्वारा चक्रानुक्रम से चुने जांएगे।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(3) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

14. मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) की शक्तियां और कृत्य :

(1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करेगी और विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध न हो संचालन करेगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना :

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों के संबंध में मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा की गई कोई कार्रवाई मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी ;

(ii) उतने आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को, जितने आवश्यक हों, और संस्थाओं के प्राचार्यों को परिनियम 25 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना ;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्ति करना ;

(iv) अमीर-ए-जामिया (कुलाधिपति) और शेख-उल-जामिया (कुलपति) से भिन्न, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति-छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना ;

(v) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द में इन परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना ;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध और विनियमन करना ;

(vii) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति का क्रय करने में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति भी है ;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति अंतरित करना या उसके अंतरण को प्रतिगृहीत करना ;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना ;

(xi) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द, अन्य कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाए, तो उन शिकायतों को दूर करना ;

(xii) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या-परिषद्) से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय के दाताओं का एक रजिस्टर बनाए रखना ;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना तथा उस मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना ;

(xv) छात्राओं के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हों ;

(xvi) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को शेख-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), मुसज्जिल (कुलसचिव) या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा स्थापित की गई समिति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना ;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना ; और

(xviii) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं ।

15. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) :

(1) मजलिस-ए-तामीली (विद्या परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iii) केंद्रों के निदेशक ;

(iv) संकायों के अध्यक्ष ;

(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(vi) विभागाध्यक्ष ;

(vii) संस्थाओं और विद्यालयों के प्राचार्य और अध्यक्ष ;

(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(ix) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार, नियुक्त किए जाएंगे ;

(x) विश्वविद्यालय के दो अध्यापक, जिनमें से कम से एक उपाचार्य होगा और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा ;

(xi) तीन ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जो उनके विशेष ज्ञान के कारण मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा सहयोजित किए जाएंगे ।

(2) गणपूर्ति मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

(3) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

16. मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की शक्तियां :

इस अधिनियम, इन परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों, विभागों और संस्थाओं में सहकारी शिक्षा, अनुसंधानों के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना ;

(ii) अंतर संकाय का समन्वय करना, अन्तर संकाय आधार पर परियोजनामों को कार्यान्वित करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना करना ;

(iii) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उस पर समुचित कार्रवाई करना ; और

(iv) इन परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययन वृत्तियों के दिए जाने, फीस में रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों ।

17. संकाय और विभाग :

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :—

(i) मानविकी और भाषा संकाय ;

(ii) सामाजिक विज्ञान संकाय ;

(iii) प्राकृतिक विज्ञान संकाय ;

(iv) शिक्षा संकाय ;

(v) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय ;

(vi) विधि संकाय ; और

(vii) अन्य ऐसे संकाय जो इन परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

18. संकायों का गठन :

(1) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) संकाय के सब आचार्य ;

(iii) संकाय को सौंपे गए विभागों के सभी अध्यक्ष, जो आचार्य न हों ;

(iv) प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(v) प्रत्येक विभाग से दो प्राध्यापक (जिनमें से एक दस वर्ष से अधिक सेवा वाला तथा दूसरा दस वर्ष से कम सेवा वाला होगा) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(vi) मजलिस-ए-तालिमी (विद्या परिषद्) द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य संकायों में से नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति ; और

(vii) पांच ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और संकाय को सौंपे गए किसी विषय के विशेष ज्ञान के कारण संकाय द्वारा सहयोजित किए जाएं, परंतु किसी एक विभाग को सौंपे गए किसी विषय की बाबत एक से अनधिक व्यक्ति सहयोजित नहीं किया जा सकेगा ।

(2) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) पालिटेकनिक विश्वविद्यालय का प्रधान ;

(iii) संकाय के सब आचार्य ;

(iv) संकाय के प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(v) पालिटेकनिक विश्वविद्यालय से तीन से अनधिक उपाचार्य ;

(vi) पालिटेकनिक विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक, ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(vii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जिसे संबंधित विषय या विषयों का विशेषज्ञीय जानकारी हो, जिसे प्रत्येक विभाग के लिए संकाय द्वारा सहयोजित किया जाएगा ; और

(viii) संकाय को सौंपे गए किसी विषय के या किसी संबंधित ज्ञान की शाखा के विशेष ज्ञान के कारण मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य ।

(3) संकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) संकाय के अधिवेशनों का संचालन और प्रत्येक संकाय के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशोंद्वारा विहित की जाएगी ।

19. संकायों की शक्तियां और कृत्य :

संकायों को अध्यादेशों के अधीन विहित शक्तियां और कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

(i) संकाय को दिए गए विभागों के अध्यापन और अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करना तथा अंतरविषयक अध्यापन और अनुसंधान की अभिवृद्धि करना और उसकी व्यवस्था करना तथा संकाय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों में परीक्षा और कालिक परीक्षणों की व्यवस्था करना ;

(ii) अध्ययन बोर्डों या समितियों की स्थापना करना या एक से अधिक विभागों से सामान्य रूप से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओ को हाथ में लेना ;

(iii) विभागों द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रम अनुमोदन करना ;

(iv) अध्ययन बोर्डों या उच्च शिक्षा और अनुसंधान समिति की सफिरिशें मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को भेजना ;

(v) संकाय द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए अध्यादेशों का प्रारूप प्रस्थापित करना ;

(vi) अध्यापन पदों के सृजन और समापन की प्रस्थापनाओं की सिफारिश करना ; और

(vii) अन्य ऐसे कृत्य करना जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) और मजलिस-ए-तालिमी (विद्या परिषद्) विहित करे ।

20. विभाग :

(1) प्रत्येक संकाय में उतने विभाग होंगे जितने परिनियमों द्वारा समुनदेशित किए जाएं ।

(2) कोई भी विभाग, इन परिनियमों द्वारा विहित किए जाने के सिवाय न तो स्थापित किया जाएगा और न समाप्त किया जाएगा ।

(3) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के समय विद्यमान विभाग और उनसे संबंधित संकाय, जब तक कि परिनियमों द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, पहले की तरह ही कृत्य करते रहेंगे ।

(4) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) विभाग के अध्यापक ;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति ;

(iii) संकायाध्यक्ष ;

(iv) विभाग से संबद्ध अवैतनिक आचार्य, यदि कोई हो ;

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों ।

(5) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो इन परिनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसे कृत्य करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

21. अध्ययन बोर्ड :

(1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) संबंधित संकाय का अध्यक्ष ;

(iii) विभाग के सभी सदस्य ;

(iv) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट, विश्वविद्यालय से संबंधित या एक जैसे विषयों में अध्यापन करने वाले दो व्यक्ति ; और

(v) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ;

(2) उपखंड (1) की मद (iv) और मद (v) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(i) संकाय को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करना :—

(क) पाठ्यक्रम ;

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ग) अध्यापन पदों का सृजन, समापन या उन्नयन ;

(घ) प्रत्येक पद के सृजन के समय उसका अध्ययन क्षेत्र ;

(ङ) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय ;

(च) विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधान के लिए विषय और अनुसंधान कार्य की अन्य अपेक्षाएं ; और

(छ) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ;

(ii) अध्यापकों में अध्यापन कार्य आबंटित करना ;

(iii) विभाग के साधारण और शैक्षिक हित के और उसके कार्यकरण के विषयों पर विचार करना ;

(iv) ऐसे अन्य कृत्य करना जो संकाय द्वारा उसे सौंपे जाएं :

परंतु कोई विभाग अपने बड़े आकार के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के हित में समितियां गठित कर सकेगा और उन्हें विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, उत्तरदायित्व सौंप सकेगा ।

22. जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र :

(1) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय का एक स्वशासी केंद्र होगा और वह विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के अनुरूप जनसंपर्क माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान का आयोजन करेगा ।

(2) जनसंपर्क संसूचना अनुसंधान केंद्र का एक प्रबंध बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी । वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(ii) अध्यक्ष के परामर्श से मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नामनिर्दिष्ट जनसंपर्क संसूचना के क्षेत्र में चार सुप्रसिद्ध व्यक्ति ;

(iii) शेख-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामनिर्देशिती ;

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(v) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के जनसंपर्क संसूचना केंद्रों में से नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ ;

(vi) केंद्र के सभी विभागाध्यक्ष ।

(3) केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंध बोर्ड का पदेन सचिव होगा किंतु वह बोर्ड का सदस्य नहीं होगा ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(5) केंद्र विश्वविद्यालय का एक पृथक् प्रशासनिक एकक होगा और उसे अपने कार्यकरण में प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय और बजट संबंधी स्वायत्ता होगी :

परंतु मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर, सभी मामलों के बारे में ऐसे निदेश जो वह आवश्यक समझे, केंद्र के अबाध कार्यकरण के लिए जारी कर सकेगी और यदि प्रबन्ध बोर्ड ऐसे निदेशों से सहमत नहीं हैं तो, मामले को कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जा सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(6) बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात् :—

(i) समय-समय पर आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, पुस्तकालाध्यक्ष, तथा अध्यापन कर्मचारिवृंद के ऐसे अन्य सदस्यों, केंद्र के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना, और इस प्रकार नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे तथा इस अधिनियम, इन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगे ;

(ii) ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी आवश्यक समझी जाएं, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियां प्रत्यायोजित करना ;

(iii) केंद्र के वित्त, लेखा, कारबार तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और उन्हें विनियमित करना ;

(iv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक, पुरस्कार, प्रमाणपत्र, और योग्यता प्रमाणपत्र संस्थित करना और उनके दिए जाने को विनियमित करना ;

(v) मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर परीक्षकों, अनुसीमकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक नियत करना ;

(vi) केंद्र के ऐसे अधिकारियों, अध्यापन कर्मचारिवृंद या अन्य कर्मचारियों की शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और उन्हें प्रतितोष देना जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें ;

(vii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ;

(7) प्रबंध बोर्ड केंद्र के कार्यों से संबंधित सभी विषयों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(8) केंद्र के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(9) प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा और केंद्र के संपूर्ण कार्यकरण और पर्यवेक्षण के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के प्रति उत्तरदयी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

(10) प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष को मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के सभी अधिवेशनों में उस समय भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जब कभी केंद्र से संबंधित कोई विषय कार्य सूची में हो ।

(11) प्रबंध बोर्ड, केंद्र के उचित कार्यकरण और प्रबंध को विनियमित करने के लिए विनियम बनाएगा ।

(12) प्रबंध बोर्ड, केंद्र के कार्यकरण के लिए ऐसे निकाय गठित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और उनके लिए विनियम बना सकेगा ।

(13) शेख-उल-जामिया (कुलपति) को केंद्र के प्रबंध बोर्ड के किन्हीं या सभी अधिवेशनों में उपस्थित होने का विशेषाधिकार होगा ।

23. जामिया के विद्यालय :

(1) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और चलाए जाने वाले विद्यालय स्वायत्त एकक के रूप में कृत्य करेंगे और उनके प्रबंध करने तथा उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए एक प्रबंध बोर्ड होगा :

परंतु मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), समय-समय पर, सभी मामलों के बारे में ऐसे निदेश, जो वह आवश्यक समझे, विद्यालयों के अबाध कार्यकरण के लिए जारी कर सकेगी और यदि प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेशों से सहमत नहीं है तो, मामले को कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जा सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति), जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iii) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ;

(iv) प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ;

(v) प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल ;

(vi) निदेशक, नर्सरी विद्यालय ;

(vii) निदेशक, बालक माता केंद्र ;

(viii) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों में से एक प्राचार्य, जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ix) सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ;

(x) विद्यालयों का एक सहायक कुलसचिव, जो सचिव होगा ।

(3) प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात् :—

(i) अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश पर नियुक्त करना और नियुक्त किए गए ऐसे सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे और वे इस अधिनियम, इन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगे ;

(ii) वित्त, लेखा, कारबार तथा विद्यालयों के अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और विनियमित करना ;

(iii) परीक्षक, अनुसीमक और परीक्षा के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा उनका पारिश्रमिक नियत करना ;

(iv) छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्ति, पदक, प्रमाणपत्र और पुरस्कार संस्थित करना और उनके दिए जाने को विनियमित करना ;

(v) विद्यालयों के अध्यापन और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की शिकायतें ग्रहण करना और उनका न्यायनिर्णयन करना ; और

(vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्य करना जो विद्यालयों के अबाध कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

24. मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) :

(1) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) शेख-उल-जामिया (कुलपति) ;

(ii) नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) ;

(iii) संकायों के दो अध्यक्ष, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(iv) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में के व्यक्ति न हों ;

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति ।

(2) वित्त अधिकारी, समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह समिति का सदस्य नहीं होगा ।

(3) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की जांच के लिए मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार होगा ।

(4) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(5) गणपूर्ति मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के पांच सदस्यों से होगी ।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे ।

(7) मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) वर्ष में कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी, जो विश्वविद्यालय की आय और साधनों पर आधारित होगी (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्य की दशा में उधारों के आगम भी हो सकेंगे) और इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(8) बजट में उपबंधित से भिन्न कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मजलिस-ए-मालियत (वित्त समिति) के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

25. चयन समितियां :

(1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में शेख-उल-जामिया (कुलपति), नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति), कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे :

परन्तु जहां किसी संस्था में अध्यापक की नियुक्ति की जानी हो, वहां उस संस्था का प्राचार्य भी ऐसी नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का पदेन सदस्य होगा :

सारणी

(1)	(2)
आचार्य	(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ; (ii) एक आचार्य जो शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य सम्बद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।☐
आचार्य/प्राध्यापक	(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष ; (ii) एक आचार्य, जो शेख-उल-जामिया (कलुपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा, उस विषय में, जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक सम्बद्ध होगा, विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।
मुसज्जिल (कुलसचिव)/ वित्त अधिकारी	(i) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य ; (ii) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो ।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ; (ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और जो कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और जिनमें से दो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा और एक मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो ।
प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल, निदेशक, नर्सरी विद्यालय और निदेशक, बालक माता केन्द्र	(i) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ; (ii) तीन व्यक्ति, जो जामिया के कर्मचारी नहीं हों, और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के सदस्य नहीं हों, जिनमें से दो, मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा सुझाए गए 7 व्यक्तियों के पेनल में से शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक व्यक्ति मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
अन्य अध्यापक	(i) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ; (ii) संबंधित विद्यालय का प्रधान ; (iii) एक व्यक्ति, जो जामिया में अध्यापन कार्य नहीं करता है और जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) का भी सदस्य नहीं है, विद्यालय शिक्षा और प्रशासन में उनके अनुभव के कारण चार व्यक्तियों के पेनल में से शेख-उल-जामिया (कुलपति) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
पुस्तकालय कर्मचारिवृंद	मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), पुस्तकालयाध्यक्ष से भिन्न पुस्तकालय कर्मचारिवृंद के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी ।
प्रशासनिक कर्मचारिवृंद	मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) (समय-समय पर), प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के लिए एक स्थायी चयन समिति नियुक्त करेगी ।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(4) चयन समिति के अधिवेशन शेख-उल-जामिया (कुलपति) या उसकी अनुपस्थिति में नायब शेख-उल-जामिया (प्रतिकुलपति) द्वारा बुलाए जाएंगे ।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी ।

(6) यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण लेखबद्ध करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक लंबी अवधि के लिए है तो वह पूर्वगामी खंडों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी ;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र की अवधि से कम अवधि के लिए है तो वह स्थानीय चयन समिति की सिफारिश से भरी जाएगी जिसमें संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शेख-उल-जामिया (कुलपति) का एक नामनिर्देशिती होगा :

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में शेख-उल-जामिया (कुलपति) के दो नामनिर्देशिती होंगे :

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से हुई अध्ययन पदों में अचानक आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष, संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट शेख-उल-जामिया (कुलपति) और मुसज्जिल (कुलसचिव) को देगा ;

(iii) अस्थायी रूप में नियुक्त किए गए किसी भी अध्यापक को, यदि इन परिनियमों के अधीन उसकी नियुक्ति की एक नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक बना रहने नहीं दिया जाएगा, या उसे नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उसे जब तक कि उसे, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता ।

(8) पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी उच्च विद्या संबंधी विशेष उपाधियों तथा वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी कि वह, विश्वविद्यालय के आचार्य के पद को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, स्वीकार करे और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी ।

(9) विश्वविद्यालय की मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में काम करने वाले किसी अध्यापक या अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंद को, संयुक्त परियोजना को चलाने के लिए, अध्यादेशों में विहित रीति के अनुसार नियुक्त कर सकेगी ।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतर-विषयक परियोजना के लिए की जा रही हो वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

टिप्पण 2—नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और शेख-उल-जामिया (कुलपति) किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा ।

(10) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) पूर्वगामी खंडों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

26. समितियां :

विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, जिनमें ऐसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति (यदि कोई हैं) होंगे, जिन्हें वह प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में, ठीक समझे ; और ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे सौंपा जाए, किंतु यह बाद में उसे स्थापित करने वाले प्राधिकरण की पुष्टि के अधीन होगी ।

27. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें :

(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों से शासित होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा और संविदा की एक प्रति मुसज्जिल (कुलसचिव) के पास भी रखी जाएगी ।

28. ज्येष्ठता सूची :

(1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना हो या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से होना हो, ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में निरंतर सेवाकाल के अनुसार और अन्य ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) समय-समय पर अवधारित करे, किया जाएगा ।

(2) मुसज्जिल (कुलसचिव) का यह कर्तव्य होगा कि वह जिन व्यक्तियों को ये परिनियम लागू होते हैं उनके प्रति वर्ग की बाबत एक पूरी अद्यतन ज्येष्ठता सूची पूर्वगामी खंड के अनुसार तैयार करे और रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में निरंतर सेवाकाल बराबर हो या किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो, तो मुसज्ज्िल (कुलसचिव) स्वप्रेरणा से और किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर मामला मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को भेज सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

29. सम्मानिक उपाधियां :

(1) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) की सिफारिश पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाध्यक्ष से प्रस्थापना कर सकेगी :

परंतु आपात की दशा में, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) स्वयं ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी ।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई सम्मानिक उपाधि वापस ले सकेगी ।

30. उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना :

मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी :

परंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जैसा उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए यह हेतुक दर्शित करने के लिए एक लिखित रूप में सूचना न दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित किया जाए और जब तक मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हैं, और किसी साक्ष्य पर, जो वह अपने समर्थन में पेश करना चाहे, विचार न कर लिया गया हो ।

31. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

(1) छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां शेख-उल-जामिया (कुलपति) में निहित होंगी ।

(2) शेख-उल-जामिया (कुलपति) अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को जो वह ठीक समझे, किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) शेख-उल-जामिया (कुलपति), अनुशासन बनाए रखने से और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई, जो उसे उचित प्रतीत हो, करने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई छात्र किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी विभाग या संस्था में एक कथित अवधि के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट न किया जाए, अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, अथवा उसे विश्वविद्यालय या विभाग या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के, जिनमें वह या वे सम्मिलित हुए हों, परीक्षाफल रद्द कर दिए जाएं ।

(4) केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और संस्थाओं के प्राचार्यों को प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने केंद्रों, विद्यालयों, संकायों और विभागों में छात्रों पर ऐसी सब अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन केंद्रों, विद्यालयों, संकायों, विभागों और संस्थाओं में उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(5) शेख-उल-जामिया (कुलपति) की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे । केंद्र के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष तथा संस्थाओं के प्राचार्य ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए वे आवश्यक समझें ।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह स्वयं को शेख-उल-जामिया (कुलपति) की और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है ।

32. संस्थाओं की स्थापना :

संस्थाओं की स्थापना और उनका समापन इन परिनियमों द्वारा शासित होगा ।

33. दीक्षांत समारोह :

उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए ।

34. अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष :

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी सभापति या अध्यक्ष का उपबंध न हो, वहां या जब इस प्रकार उपबंधित किया गया सभापति या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो, उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे ।

35. त्यागपत्र :

(1) अंजुमन (सभा), मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण का या ऐसे प्राधिकरण को किसी समिति का पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और वह त्यागपत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो अन्यथा ; कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख को ही प्रभावी होगा जब वह उस रिक्ति को भरने के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाए ।

36. निरर्हताएं :

(1) वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त या मूक-बधिर है ;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(iii) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो यह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

37. अध्यापकों का हटाया जाना :

(1) जहां किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के विरुद्ध अवचार का अभिकथन हो जहां शेख-उल-जामिया (कुलपति), यदि वह ठीक समझता है तो, लिखित रूप में आदेश द्वारा उस अध्यापक को निलंबित कर सकेगा और मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें आदेश किया गया था :

परंतु यदि मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) की राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन नहीं होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी ।

(2) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्), किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य की सेवा-संविदा या उसकी नियुक्ति के निबंधनों में किसी बात के होते हुए भी उसे अवचार के आधार पर हटा सकेगी ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को हटाने की तभी हकदार होगी जब उसे लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दे दिया गया हो ।

(4) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य को हटाने के लिए मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की अपेक्षा होगी ।

(6) किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य उसके हटाए जाने के समय निलंबित है वहां हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे उसे निलंबन के अधीन रखा गया था।

(7) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास के वेतन का संदाय करके पद त्याग सकेगा।

38. विश्वविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों का हटाया जाना :

(1) अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य से भिन्न किसी कर्मचारी का, उसकी सेवा संविदा या उसकी नियुक्ति के निबंधनों में से किसी बात के होते हुए भी, उस प्राधिकारी द्वारा, जो ऐसे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए सक्षम हो, हटाया जा सकेगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त या मूक-बधिर है ;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(iii) वह ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ;

(iv) वह अवचार का अन्यथा दोषी है :

परंतु कोई कर्मचारी अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस आशय का संकल्प मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित न कर दिया गया हो।

(2) कोई कर्मचारी खंड (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहां ऐसा कर्मचारी खंड (1) के उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी कारण से हटाया जाए वहां उसे तीन मास की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन दिया जाएगा।

(4) परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य से भिन्न कोई कर्मचारी—

(i) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित रूप में सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय को तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग करने का हकदार होगा ;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित रूप में सूचना देने या उसके बदले में विश्वविद्यालय को एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग करने का हकदार होगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

39. अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे :

(1) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए अध्यादेश मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 25 में प्रगणित मामलों के बारे में, जो उस धारा की उपधारा (1) के खंड (त) में प्रगणित मामलों से भिन्न हैं, मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को किसी ऐसे संशोधन सहित जिसे मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) सुझाव दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) ने मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और मजलिस-ए-तालीमी (विद्या परिषद्) के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित करेगी, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत होगा।

(6) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसे अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा । कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) को यथासंभव शीघ्र प्रस्थापित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा । कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को या तो वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

40. विनियम :

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् :—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाने वाले अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित हैं ; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों का उपबंध करना जो मुख्यत: ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा स्थापित समितियों के बारे में होंगे जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण उस प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने संबंधी उपबंध करने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) मजलिस-ए-मुंतजेमा (कार्य परिषद्) इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम के, ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के रद्द किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

41. शक्तियों का प्रत्यायोजन :

अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियां, अपने-अपने नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का समग्र उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा ।

42. सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें होना :

इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति, जो मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा ।

43. अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता :

इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति का धारक होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता हो या अपनी उस हैसियत में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक बना रहे ।

44. पूर्व छात्र संगम :

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति उस संगम का तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक—

(i) उसने ऐसा चंदा न दे दिया हो और ऐसी शर्तों को पूरा न कर दिया हो जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ; और

(ii) वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया या विश्वविद्यालय का स्नातक न हो ।

———